कार्यालय अंचल अधिकारी, गोमिया (बोकारो)

अभिलेख सं0 :– 05 / 2017–18 केश का प्रकार :– विविध वाद

[illegible]म पक्ष :– अब्दुल करीम, पिता – नागो मियां

बनाम्

द्वितीय पक्ष :– हरदयाल महतो,
निरपत महतो, पिता – अमरनाथ महतो

अंचल का नाम :– गोमिया

जिला – बोकारो

आदेश की क्रम संख्या और तारीख
9

आदेश फलक

२

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
३

05/04/17

आवेदक अब्दुल करीम, पिता – नागो मियां, ग्राम– पो0– हुरलुंग, थाना – चतरोचट्टी, जिला – बोकारो द्वारा प्राप्त आवेदन का अवलोकन किया गया। इन्होंनें आवेदित किया है कि गोमिय अंचल अन्तर्गत मौजा–जरिया, खाता सं0–24, प्लॉट संख्या 369, कुल रकवा– 0.83एकड़ भूमि केवाला सं0–471, दिनांक 03/02/1990 में डिलो महतो, पिता – कान्हु महतो से निबंधन कार्यालय, बेरमो(तेनुघाट) में करीम अंसारी वगै0 के नाम से निबंधित कराया था। उक्त भूमि का सरकारी लगान वर्त्तमान समय तक देता आ रहा हुँ। साथ ही उपरोक्त भूमि वार्णित भूमि पर निबंधन के बाद से शांति पूर्वक दखल–कब्जा है। वर्त्तमान समय में हरदयाल वगै0, पिता – अमरनाथ महतो द्वारा उपरोक्त भूमि का फर्जी कागजात एवं रसीद अवैध रूप से कटा रहें है। आवेदक द्वारा संबंधित भूमि का रसीद जो हरदयाल महतो के नाम से निर्गत हो रहा है, बन्द करने हेतु एवं उनके विरूद्व उचित कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व कर्मचारी को जाँच हेतु दें। तत्पश्चात् अभिलेख दिनांक 13 / 04 /2017 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
गोमिया।

13/04/17
01/06/17

अभिलेख उपस्थापित।

हल्का राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से
प्राप्त है। हल्का राजस्व कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा– जरिया, प्लॉट
संख्या 369, कुल रकवा– 0.83एकड़ भूमि अब्दुल करीम, अब्दुल रहीम, हाफीज
मन्सुर आलम, पिता – नागो मियां के नाम से जमाबन्दी कायम है। सरकारी लगान
रसीद वर्ष 1989–90 से 2015–16 तक निर्गत दर्ज है। प्राधिकार कायम में शिविर
न्यायालय हुरलुंग केस सं0 –47/1993–94 पंजी II क पृष्ठ सं0–134, भौलूम सं0
– I में दर्ज है। उक्त वार्णित भूमि की जमाबन्दी पंजी II केक पृष्ठ सं0 –153,
भौलूम सं0– I में हरदयाल महतो, निरपत महतो पिता – अमरनाथ महतो के नाम
से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2000–01 से 2012–13 तक निर्गत है। प्राधिकार
कॉलम में दाखिल– खारिज केस सं0– 524/2000–01 दर्ज है।

अतः उभय पक्षों को मूल कागजात प्रस्तुत करने हेतु सूचना निर्गत
करें। तत्पश्चात् अभिलेख दिनांक 08 / 06 /2017 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
गोमिया।

अतः उक्त के आलोक में मौजा - जरिया, के जमाबन्दी पंजी - II के पृष्ठ सं० - 153/I पर श्री हरदयाल महतो, निरपत महतो, पिता - अमरनाथ महतो के कायम जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बेरमो तेनुघाट को भेजें।

(लौटकापित)

09/11/17

अंचल अधिकारी
गोमिया।

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2024.11.29 16:07:33 +05:30
Location: 10.93.136.101